निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 382) पटना, मंगलवार, 12 मार्च 2019

श्रम संसाधन विभाग

प्रारूप अधिसूचना
8 मार्च 2019

एस0ओ0 54, दिनांक 12 मार्च 2019—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा–3 की उपधारा (1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, बिहार राज्य में निम्नांकित नियोजनों में नियोजित **अर्द्धकुशल** कोटि के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करना चाहते हैं, उससे संबंधित प्रस्ताव का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा–5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो महीने के बाद उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

दो महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को या उसके पहले इस प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति से जो भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त होगा उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रारूप

अनुसूची

क्र०स०	अनुसूचित नियोजनों का नाम
1.	कॉ–ऑपरेटिव सेक्टर
2.	अल्मुनियम उधोग
3.	खंडसारी उधोग
4.	केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उधोग
5.	साबुन निर्माण उधोग
6.	सिमेन्ट प्री–स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्स उधोग
7.	एस्वेस्टस सिमेंट उधोग

क्र०स०	अनुसूचित नियोजनों का नाम
8.	ग्लास शीट निर्माण
9.	बन्दूक करखाने
10.	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान
11.	पेपर उधोग
12.	लौण्ड्रीज एंड वासिंग
13.	होजियरी निर्माण
14.	सिन्दुर एवं रंग बनाने का उधोग
15.	चर्म वस्तु निर्माण
16.	उड वर्क्स फर्नीचर
17.	आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स
18.	पेट्रोल एवं डिजल पम्पस
19.	फिशरीज
20.	खादी एवं ग्राम उधोग
21.	प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी
22.	जिल्दसाजी उधोग
23.	दफ्ती, कार्ड बोर्ड,मील बोर्ड,कारगेरेक बोर्ड,एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण
24.	इलेक्ट्रोनिक्स उधोग
25.	सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उधोग
26.	प्लाईउड उधोग
27.	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फलोरेन्स ट्यूब निर्माण उधोग
28.	ढलाई (फाउन्ड्री) उधोग
29.	रबड़ एवं कम्पाउंड उधोग
30.	बिस्कुट उधोग
31.	कोल ब्रिकेट उधोग
32.	सिलाई उधोग
33.	हैंडलूम उधोग
34.	निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स
35.	डिस्ट्रीलरीज
36.	प्लास्टिक उधोग
37.	मिनरल ग्राईडिंग उधोग
38.	शीशा उधोग (ग्लास शीट छोडकर)
39.	डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश
40.	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण
41.	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं
42.	चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल
43.	तेल मिल
44.	मुद्रणालय
45.	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान

क्र०स०	अनुसूचित नियोजनों का नाम
46.	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट
47.	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले
48.	कोल्ड स्टोरेज
49.	लघु अभियंत्रण उधोग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले)
50.	बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य
51.	सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्य
52.	बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज
53.	पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें
54.	होटल,भोजन गृह एवं रेस्तराओं
55.	अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)– कारखाना एवं प्रतिष्ठान
56.	सिनेमा उधोग
57.	किसी भी विश्वविधालय शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान
58.	प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी
59.	रिफ्रेक्ट्रीज,फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग
60.	पौट्रीज
61.	ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स
62.	हार्ड कोक भट्ठे
63.	कुरियर सेवा
64.	चूड़ा मिल
65.	इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फर्निसिंग उद्योग
66.	अभियंत्रण उद्योग (50से अधिक कामगार नियोजित करने वाले)
67.	लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य
68.	जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य
69.	सूचना एवं प्रौद्यौगिक उद्योग

प्रस्ताव प्रारूप

अनुसूची–I

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	दिनांक–01.10.2018 को लागू न्यूनतम मजदूरी की दर (परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता सहित)	कुशल कोटि के कामगार के 26 दिनों के न्यूनतम मजदूरी (@रू० 325/-) के गुणक के समतुल्य मासिक मजदूरी	प्रस्तावित दर
1	2	3	4	5
1	लिपिकीय	₹7359.00 प्रतिमाह	₹325×26= रू०8450/-	₹ 8450/-(अथवा अधिसूचना निर्गत के तिथि को लागू कुशल कोटि के कामगार के 26 दिनों के न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य)

क्र0 सं0	कामगारों की कोटि	दिनांक–01.10.2018 को लागू न्यूनतम मजदूरी की दर (परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता सहित)	अतिकुशल कोटि के कामगार के 26 दिनों के न्यूनतम मजदूरी (@₹396/-) के गुणक के समतुल्य मजदूरी रू०	प्रस्तावित दर
1	2	3	4	5
2	पर्यवेक्षीय	₹ 7359.00 प्रतिमाह	₹ 396×26= ₹ 10,296/-	₹ 10,296/-(अथवा अधिसूचना निर्गत के तिथि को लागू अतिकुशल कोटि के कामगार के 26 दिनों के न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य)

टिप्पणी :–

(क) वर्तमान में पर्यवेक्षीय एवं लिपिकीय कोटि के कामगार का मासिक न्यूनतम मजदूरी समतुल्य है एवं यह कुशल कामगार के न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, हाँलाकि पर्यवेक्षीय कामगार को कुशल कामगारों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करना पड़ता है।

(ख) प्रस्ताव के अनुसार लिपिकीय कोटि के कामगार का न्यूनतम मजदूरी कुशल कोटि के कामगार के सामान होगा एवं पर्यवेक्षीय कोटि के कामगार का न्यूनतम मजदूरी अतिकुशल कोटि के कामगार के सामान होगा।

(ग) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(घ) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(ङ.) पुरूष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

नोट :– लिपिकीय एवं पर्यवेक्षीय कोटि से अभिप्रेत है–

(i) उपरोक्त 69 अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले लिपिकीय कोटि के कामगार यथा– लिपिक, भंडार लिपिक (मैट्रिकुलेट), मिलान लिपिक, बुक कीपर, कार्य मुंशी, (अधीनस्थ) लेखालिपिक, संगणक, टेलीफोन प्रचालक, बुकिंग क्लर्क, टंकक **या अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, जो कि लिपिकीय प्रकृति के हों।**

(ii) उपरोक्त 69 अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले पर्यवेक्षीय कोटि के कामगार यथा–मुंशी (न्यूनतम मैट्रिकुलेट), भंडारपाल, भंडार रक्षक (मैट्रिकुलेट), सुपरवाईजर, अधीक्षक, टास्कमास्टर, **या अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, जो कि पर्यवेक्षीय प्रकृति के हों।**

(iii) वैसा NSQF संबद्ध कौशल प्रशिक्षित कामगार जिनके प्रमाणीकरण पर स्तर (Level) 8, 9 अथवा 10 अंकित हो।

(सं0–5/एम0डब्लू0–403/07–1177/श्र0सं0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन रजक,
अवर सचिव।

---

8 मार्च 2019

एस0 ओ0 55, एस0 ओ0 54, दिनांक 12 मार्च 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0–5/एम0डब्लू0–403/07–1178/श्र0सं0)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मोहन रजक,
अवर सचिव।

The 8th March 2019

S.O. 54, dated 12th march 2019— The following draft of proposal is to revise the minimum rates of wages fixed by the State Government in semi-skilled category of employees employed in the following Employment in the State of Bihar, which the Governor of Bihar proposes to make in exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the said Act and is hereby published as required by clause (b) of sub-section (1) of section-5 of the said Act for the information to persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken into consideration after two months from the date of publication of this notification in the Gazette of Bihar.

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said proposal on or before the date of expiry of the said period of two months shall be considered by the State Government.

Draft Proposal

Schedule

Sl. No.	Name of Scheduled Employments
1.	Co-operative Sector
2.	Aluminum Industry
3.	Khandsari industry
4.	Chemical and Pharmaceutical Industry
5.	Soap Making Industry
6.	Cement Pre - stressed product Industry
7.	Asbestos Cement Industry
8.	Glass Sheet Industry
9.	Gun factories
10.	Religious & Social Institution
11.	Paper Industry
12.	Laundry & washing
13.	Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw
14.	Manufacture of Sindur & Rang
15.	Manufacture of Leather good
16.	Wood works & furniture
17.	Ice Cream and Cold Drinks
18.	Petrol and Diesel Pump
19.	Fisheries
20.	Khadi and Village Industries
21.	Private Ferries & LTC
22.	Book binding Industry
23.	Dafti Card Board, Mill Board Paper Board corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory
24.	Electronics Industry

Sl. No.	Name of Scheduled Employments
25.	Cement Hume pipe, Electric pole and railway Sleeper manufactures Industry
26.	Plywood Industries
27.	Electric and other type of Bulbs and Florence tubes
28.	Foundry Industries
29.	Rubber and Rubber Compound Industry
30.	Biscuit Industry
31.	Coal briquette Industry
32.	Tailoring Industry
33.	Handloom Industry
34.	Private Hospitals, Nursing Home and Clinic
35.	Distilleries
36.	Plastic Industries
37.	Mineral Grinding Industry-
38.	Glass Industries (excluding glass sheet)
39.	Dairies and Poultry Farms
40.	Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design.
41.	Tanneries Leather Technology
42.	Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills
43.	Oil Mills
44.	Printing Press
45.	Any Shops and establishment
46.	Public Motor Transport
47.	Any woollen carpet making or shawl weaving establishment.
48.	Coal Storage
49.	Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.)
50.	Dam Construction & Irrigation
51.	Construction or Manufactory of Road or in Building Construction
52.	Bakeries and Confectioneries
53.	Shops selling cooked food stuff
54.	Hotels Eating House and Restaurants.
55.	Mica work(Factory & Establishment excluding Mine)
56.	Cinema industry
57.	Any University, Educational, Research or cultural institutions

Sl. No.	Name of Scheduled Employments
58.	Private Security
59.	Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry
60.	Potteries
61.	Automobile Engineering Shops
62.	Hard Coke Industry
63.	Currier Service
64.	Frittered Rice
65.	Electro Casting and Metal Furnishing
66.	Engineering Industries (Employment more than 50 workers)
67.	Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc., works
68.	Jute Industry & Similar works
69.	Information Technology.

Draft Proposal
Schedule-I

S.N.	Category of Worker	Existing Minimum Wage (from 01.10.2018)	Monthly Minimum Wage equal to 26 days of minimum wage (@₹325) of skilled worker.	Proposed Wage
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Clerical	₹7359.00 Per month	₹325×26= ₹8450/-	₹8450/- (Or equal to minimum wage of 26 days of the skilled workers at the date of notification)
S.N.	**Category of Worker**	**Existing Minimum Wage (from 01.10.2018)**	**Monthly Minimum Wage equal to 26 days of minimum wage (@₹396) of Highly skilled worker.**	**Proposed Wage**
1	Supervisory	₹7359.00 Per month	₹396×26= ₹10,296/-	₹10,296/- (Or equal to minimum wage of 26 days of the Highly skilled workers at the date of notification)

Note: -

(a) Currently the monthly minimum wage of supervisory and clerical category is equal and even less than the minimum wage of skilled worker. However, supervisory worker has to perform the supervision work of skilled worker.

(b) According to the proposal, the minimum wages of clerical category will be equal to the skilled category and the minimum wages of the supervisory category workers will be equal to the highly skilled category.

(c) The above mentioned rates of minimum wages include remuneration payable to the worker for a day of rest during the seven days period.

(d) For weekly work on the day of rest or any other day, the worker will be entitled to get two times wages payment of overtime work at the rate prescribed in rule-25 of the Bihar Minimum Wage Rules, 1951.

(e) Male or female workers will get wages at the same rate for the same work or similar work.

Note :- Clerical and Supervisory means -

(i) The worker working as Clerical worker in the above mentioned 69 schedule employment for example-Clerk, Store clerk (Matriculate), Time Keeper, Book Keeper, Work Munshi (Subordinate) Account Clerk, Telephone Operator, Computer Operator, Booking clerk, Typist or any other worker by whatever name so called and the execution of work are of clerical nature.

(ii) The worker working as Supervisory worker in the above mentioned 69 schedule employments, for example Munshi (Matriculate), Storekeeper, Store Keeper (Matriculate), Supervisor, Superintendent, Taskmaster or any other worker by whatever name so called and the execution of work are of supervisory nature.

(iii) Such worker who has done NSQF allied training and Level 8,9 or Level 10 is marked on his/her certificate..

(No.-5/M.W-403/07-1177/ L & R)
By order of the Governor of Bihar,
MOHAN RAJAK,
Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 382-571+100 डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in